

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड औरैया दिबियापुर

पत्रांक 623 /सिखऔदि/सामान्य/ दिनांक 14/05/2015

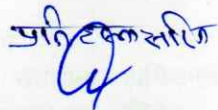
विषय :-इटावा शाखा नहर से पावर ट्रान्समिशन लाइन कासिंग हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-आपका पत्रांक SEUPPTCL/RIVER/CANAL/2014-15/1250/Dated 13.01.2015

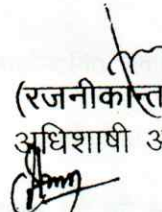
R.L. Singh, Genral Manager, South East U.P. Power Transmission Company Ltd.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपने अवगत कराया है कि इटावा शाखा नहर के किमी0 152.525 से 152.970 के मध्य से समानान्तर दो पावर ट्रान्समिशन ओवर हैड लाइन कासिंग किये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 26.04.2015 को आपकी कम्पनी के अधिकारियों एवं सिंचाई खण्ड औरैया दिबियापुर के सहायक अभियन्ता द्वितीय एवं अवर अभियन्ता झींझक के साथ मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर उक्त रीच मे पावर ट्रान्समिशन लाइन कासिंग करने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि किसी प्रकार से नहरी भूमि एवं इटावा शाखा को क्षति नही पहुचायी जायेगी अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः उक्त शर्त के साथ पावर ट्रान्समिशन लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।



प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात


(रजनीकांत सिंह)
अधिशायी अभियन्ता